प्रेस नोट

जनपद संकबीरनगर

दिनाँक 15.06.2026

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आत्महत्या करने जा रही महिला को बचाकर परिजनों को किया गया सुपुर्द

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री जयप्रकाश दूबे*** के नेतृत्व में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर दिनाँक 14.06.2026 को अपने बच्चों के साथ ट्रेन से कटने जा रही महिला को बचाया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 14.06.2026 को समय 09.00 बजे रात्रि में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर जरिये दूरभाष सूचना मिली कि मुखलिसपुर क्रासिंग के पास एक महिला अपने बच्चों के साथ ट्रेन से कटने जा रही है, इस सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए उ0नि0 श्री धर्मनाथ यादव, हे0का0 गणेश, का0 अरविन्द तिवारी, म0का0 अंकिता सिंह, म0का0 साधना, म0का0 महिमा यादव द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर महिला और बच्चे को सकुशल बचाकर थाने लाया गया। पूछताछ में महिला द्वारा बताया गया कि अपने ससुराल वालों से परेशान होकर मरने जा रही थी। मिशन शक्ति टीम द्वारा महिला के मायके तथा ससुराल पक्ष के लोगों को बुलाकर व महिला की काउंसलिंग की गयी, काउंसलिंग के उपरान्त महिला द्वारा अपने परिजनों के साथ जाने की इच्छा व्यक्त की जिसके उपरान्त महिला को परिजनों के साथ भेजा गया। परिजनों द्वारा पुलिस कार्यवाही से खुश होकर पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा किया गया।

***क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर ठगी के शिकार हुए पीड़ित को साइबर सेल थाना मेंहदावल पुलिस टीम ने दिलाई राहत, वापस कराई गई 10,000.00 रू की धनराशि।**

पुलिस अधीक्षक संत कबीर नगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम अभियान के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर सेल थाना मेंहदावल टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्यवाही करते हुए साइबर ठगी के शिकार हुए पीड़ित को 10,000.00 रुपये की धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करायी गयी।

***घटना का संक्षिप्त विवरणः– ***

दिनाँक 29.03.2026 को श्री सन्तोष पुत्र श्री सृजन प्रसाद निवासी औरही, थाना मेंहदावल जनपद संतकबीर नगर के दोस्त का मोबाइल हैक करके फेसबुक के माध्यम से पैसे मंगवाकर पीड़ित के साथ साइबर ठगी किया और पीड़ित के खाते से 10,000.00 रुपये की धोखाधड़ी की गयी। फ्रॉड हो जाने के उपरान्त हकीकत पता चलने पर पीड़ित द्वारा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से शिकायत संख्या – 33103260069369 पंजीकृत की गयी थी, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरक्षी संदीप कुमार गौतम द्वारा तत्काल संबंधित बैंक से संपर्क कर व तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से धनराशि को होल्ड कराया और विधिक प्रक्रिया पूर्ण करते हुए आवेदक के खाते में धनराशि 10,000.00 रुपये वापस करा दी गयी। अपन धनराशि वापस पाकर पीड़ित ने पुलिस प्रशासन एवं साइबर टीम का सहृदय आभार व्यक्त किया है।

साइबर सेल टीमः– प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह, उ0नि0 संजय कुमार वर्मा, आरक्षी संदीप कुमार गौतम , आरक्षी सौरभ कुमार, रिक्रूट आरक्षी अमित कुमार ।

अपील - जनता से अनुरोध है कि किसी भी अनजान कॉल या ब्लैकमेलिंग के झांसे में न आएं। साइबर ठगी होने पर तत्काल Cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 1.2 किलोग्राम अवैध गाँजा के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री जयप्रकाश दूबे*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त नाम पता अरुण यादव पुत्र स्व0 अशोक यादव निवासी बरईटोला वार्ड नं0 3 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को नैनीडिहा से 1.2 किलोग्राम अवैध गाँजा के साथ दिनाँक 14.06.2026 को गिरफ्तार कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अरुण यादव पुत्र स्व0 अशोक यादव निवासी बरईटोला वार्ड नं0 3 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग–

मु0अ0स0 522/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी-

1.2 किलोग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री विनय कुमार पाण्डेय, हे0का0 धर्मेन्द्र पाण्डेय, का अनिल कुमार यादव, का0 अनुराग यादव।

गिरफ्तार अभियुक्त अरुण यादव उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 438/2021 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।
- मु0अ0सं0 349/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर ।
- मु0अ0सं0 37/2026 धारा 304(2), 317(2) बीएननएस थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को 01 अदद अवैध देशी पिस्टल 9 MM, 01 अदद अवैध चाकू व बाईक साथ किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री जय प्रकाश दुबे*** नेतृत्व में गठित टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण नाम पता 01. अमित कुमार उर्फ अंगद यादव पुत्र बृजभान यादव निवासी मझगावा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर 02. वीरेन्द्र यादव उर्फ टेढे पुत्र परशुराम निवासी सेहड़ा निकट घघसरा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर को 01 अदद अवैध देशी पिस्टल MM, 01 अदद अवैध चाकू व जामा तलाशी के 02 अदद मोबाईल तथा 01 अदद मोटर साईकिल के साथ आज दिनाँक 15.06.2026 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 524/2026 धारा 3/4/7/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया तथा बरामद बाईक को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

01. अमित कुमार उर्फ अंगद यादव पुत्र बृजभान यादव निवासी मझगावा थाना महुली जनपद संतकबीरनगर ।
02. वीरेन्द्र यादव उर्फ टेढे पुत्र परशुराम निवासी सेहड़ा निकट घघसरा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर ।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अदद अवैध देशी पिस्टल MM ।
- 01 अदद अवैध चाकू ।
- 01 अदद मोटर साईकिल (अंतर्गत धारा 207 एमवी एक्ट) ।

जामा तलाशी से बरामदगी:-

- 02 अदद मोबाइल फोन ।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगणः-

- उ0नि0 श्री लालबिहारी निषाद, का कृष्णानन्द शाह, हे0का0 सम्पूर्णानन्द यादव, रि०का0 अमित कुमार प्रथम, रि0का0 मोहित कुमार, रि0का0 रोहित कुमार ।

दबिश के दौरान 04 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस*** द्वारा 02 नफर वारण्टी नाम पता 01.राकेश कुमार पुत्र रामकिशुन निवासी बाहिलपार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 02. रामललित पुत्र स्व० काशी प्रसाद निवासी उनखास थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री ध्रुवनारायन यादव, का0 धर्मेन्द्र कुमार गोंड, का0 उमेश कुमार।

थाना महुली पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी 01-जगदीश कुमार पुत्र स्व0 छोटेलाल 02- राकेश कुमार पुत्र स्व0 छोटेलाल निवासीगण वार्ड न0 03 सुर्यनगर नगर पंचायत हरिहरपुर थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह, का0 विनोद मौर्या।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 464 वाहनों से 4,84,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 15.06.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 464 वाहनों से 4,84,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।